तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
5.9.19	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उप०। तहसील ला० इन्द्रगढ़ की मौका रिपोर्ट प्राप्त हुई। जिसे शा० का० किया गया। वकील वादी को वादी सं. 2 शेभाग के कायम मुकाम जो रिपोर्ट मौका तहसील ला० में अंकित है अंकित करते हुए संशोधित शीर्षक वाद पेश करने हेतु पाबन्द किया। पत्रावली दि० 11.9.19 को पेश हो।	
11.9.19.	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उप० होकर संशोधित शीर्षक पेश किया जिसे शा० का० किया गया। अत: एक पक्षीय बहस वादी वकील सुनी गई। पत्रावली बाहते आदेश दिनांक 19.9.19 को पेश हो।	
19-9-19	पत्रावली पेश हुई वकील वादी उपस्थित आदेश सुनाया गया वादीगण का वाद-पत्र स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर तदनुसार डिक्री जारी कर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी लाखेरी जिला बून्दी	

Scanned by CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लाखेरी (बून्दी)

वाद संख्या 93/2016 — पीठासीन अधिकारी

दायरा दिनांक :– 22.11.2016 — गोरधनलाल मीना (RAS)

बउनवान

1. प्रताप आत्मज बदरी जाति मीणा निवासी चहीचा तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी (राज0)
2. शोभाग आत्मज बदरी जाति मीणा निवासी चहीचा मृतक जयें कायम मुकामान
   2/1 हेमराज पुत्र शोभाग जाति मीणा निवासी चहीचा
   2/2 नंदकवंरी बेवा शोभाग जाति मीणा निवासी चहीचा
   2/3 परमानन्द पुत्र शोभाग जाति मीणा निवासी चहीचा
   2/4 कलावती पुत्री शोभाग जाति मीणा निवासी चहीचा
   2/5 प्रेमबाई पुत्री शोभाग जाति मीणा निवासी चहीचा
3. देवकरण आत्मज नारायण जाति मीणा निवासी चहीचा तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी
4. हज्यारा आत्मज नारायण जाति मीणा निवासी चहीचा तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी
5. केदार आत्मज नारायण जाति मीणा निवासी चहीचा तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी
6. लक्ष्मण लाल आत्मज कल्याण जाति मीणा निवासी चहीचा तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी (राज0)
7. हरिप्रसाद आत्मज कल्याण जाति मीणा निवासी चहीचा तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी (राज0)

– वादीगण –

बनाम

1. राजस्थान राज्य सरकार द्वारा तहसीलदार साहब इन्द्रगढ तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी (राज.)

– प्रतिवादी –

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 43
आर.टी.एक्ट.

निर्णय — दिनांक :– 19.09.2019

वादीगण ने वाद पत्र अन्तर्गत धारा 43 आर.टी.एक्ट में प्रस्तुत कर कथन किया कि खाता संख्या नया 87 के अनुसार खसरा संख्या 124 रकबा 0.41 हैक्टर, खसरा संख्या 152 रकबा 1.16 हैक्टर, खसरा संख्या 153 रकबा 0.22 हैक्टर, खसरा संख्या 154 रकबा 0.76 हैक्टर, खसरा संख्या 155 रकबा 0.60 हैक्टर, खसरा संख्या 157 रकबा 1.16 हैक्टर किस्म नहरी दोयम कुल किता 06 कुल रकबा 4.31 हैक्टर वाके ग्राम चहीचा पटवार क्षैत्र देहीखेडा तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी में स्थित है। जिसके राजस्व रिकार्ड में वादी संख्या 06 व 07 का हिस्सा 1/6, वादी प्रताप व शोभाग का हिस्सा 1/3 व वादीगण केदार, देवकरण एवं हज्यारा का हिस्सा 1/2 अंकित चला आ रहा है। वाद पत्र की चरण

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी जिला बून्दी

Scanned by CamScanner

संख्या 1 में अंकित आराजी वादीगण की पुश्तैनी आराजी है जिस पर वादीगण का लगातार कब्जा चला आ रहा है।

वाद पत्र की चरण संख्या 1 में अंकित आराजी के राजस्व रिकार्ड में रहन के रूप में मांगीलाल, रूघनाथ, बैजनाथ, रामनाथ पिसरान नारायण मीणा सांकित कोटाखुर्द का नाम दर्ज चला आ रहा है। रहन मूर्तहीन बिल कब्ज यानि रकम का ब्याज नही और न ही जमीन का रहन होने के पांच वर्ष पश्चात ही स्वतः ही रहन से मुक्त हो गई थी और वादीगण के पूर्वजो का ही भूमि पर कब्जा हो गया था और वर्तमान समय में वादीगण काबिज है। वाद में विवादित आराजी पर राजस्व रिकार्ड में जिनका नाम मु.बि.क. के रूप में दर्ज है। उनका कब्जा नही है वरन वादीगण का कब्जा है। वादीगण की जानकारी में मांगीलाल, रूघनाथ, बैजनाथ, रामनाथ पिसरान नारायण मीणा निवासी कोटाखुर्द का काफी अर्से पूर्व देहान्त हो चुका है और उनके कोई वारिसान भी जीवित नही है परन्तु राजस्व रिकार्ड में उनका नाम दर्ज चला आ रहा है। राजस्व रिकार्ड में रूघनाथ, बैजनाथ, रामनाथ पिसरान नारायण मीणा निवासी कोटाखुर्द का नाम दर्ज होने से खातेदारान को केसीसी प्राप्त करने भूमि को स्थानान्तरित करने, ऋण प्राप्त करने में काफी परेशानी उत्पन्न हो रहा है। जिससे वादीगण के हितों पर विपरीत प्रभाव पड रहा है। वादीगण की ओर से प्रतिवादी राज्य सरकार को दिनांक 19.08.2015 को एक पंजीकृत नोटिस राजस्व रिकार्ड में राहिन रूघनाथ, बैजनाथ, रामनाथ पिसरान नारायण मीणा निवासी कोटाखुर्द का नाम विलोपित किये जाने बाबत नोटिस दिया जा चुका है जो उन्हे दिनांक 31.08.2015 को प्राप्त हो चुका है। इस उपरान्त भी राजस्व रिकार्ड में से राहिन का अंकन विलोपित नही किया हैं। यही वाद कारण है।

वादीगण का वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी द्वारा जवाब दावा प्रस्तुत किया गया एवं तहसीलदार इन्द्रगढ की मौका व कब्जा काश्त की रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार इन्द्रगढ द्वारा मौका रिपोर्ट राजस्व रिकार्ड अनुसार वादीगण का कब्जा होना बताया गया है। वादीगण ने अपने दावे के समर्थन में मौखिक साक्ष्य में वादी देवकरण का साक्ष्य शपथ पत्र पेश किया गया। दस्तावेजी साक्ष्य में नकल जमाबन्दी सम्वत 2067–2070 ग्राम चहीचा प्रदर्श 1, रजिस्टर्ड नोटिस अन्तर्गत धारा 80 जाप्ता दीवानी दिनांक 19.08.2015 प्रदर्श 2, नोटिस की रजिस्टर्ड ए.डी. रसीद दिनांक 19.08.2015 प्रदर्श 3, प्राप्ति रसीद प्रदर्श 4, मिलान क्षेत्रफल सन् 1995–2015 प्रदर्श 5, जमाबन्दी सम्वत 2035–2038 ग्राम चहीचा प्रदर्श 6, नकल जमाबन्दी सम्वत 2059–2062 ग्राम चहीचा प्रदर्श 7, नकल जमाबन्दी सम्वत 2039–2042 ग्राम चहीचा प्रदर्श 8 पेश किये गये।

वादीगण के अधिवक्ता की एक पक्षीय बहस सुनी गई। वादीगण के अधिवक्ता ने दौराने बहस वाद पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये कथन किया कि वाद वर्णित आराजी के वादीगण राजस्व अभिलेखों में रिकार्डेड खातेदार दर्ज है एवं लगातार कब्जा काश्त चले आ रहे है। वादीगण का खाता राजस्व रिकार्ड में राहिन के रूप में मांगीलाल, रूघनाथ, बैजनाथ, रामनाथ पिसरान नारायण मीणा निवासीगण कोटाखुर्द चला आ रहा है। जबकि राहिनकर्ता का कभी भी वाद वर्णित आराजी पर कब्जा काश्त नही रहा है। और अन्त में निवेदन किया कि राहिन मांगीलाल, रूघनाथ, बैजनाथ, रामनाथ पिसरान नारायण मीणा निवासीगण कोटाखुर्द का नाम राजस्व रिकार्ड से विलोपित किये जाने की डिक्री फरमाई जावें।

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी जिला बून्दी

Scanned by CamScanner

हमारे द्वारा वादीगण के अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों व राजस्व रिकार्ड एवं कब्जा काश्त की रिपोर्ट तहसीलदार इन्द्रगढ की रिपोर्ट का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार इन्द्रगढ के वाद वर्णित आराजी खसरा संख्या 124 रकबा 0.41 हैक्टर, खसरा संख्या 152 रकबा 1.16 हैक्टर, खसरा संख्या 153 रकबा 0.22 हैक्टर, खसरा संख्या 154 रकबा 0.76 हैक्टर, खसरा संख्या 155 रकबा 0.60 हैक्टर, खसरा संख्या 157 रकबा 1.16 हैक्टर किस्म नहरी दोयम कुल किता 06 कुल रकबा 4.31 हैक्टर वाके ग्राम चहीचा पटवार क्षैत्र देहीखेडा तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी पर वादीगण का ही लगातार कब्जा होना बताया गया है।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (4) के अनुसार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रभावी होने के पूर्व दर्ज बन्धक का उनमोचन (मुक्त) 30 वर्ष की अवधि के पूर्ण होते ही समाप्त हों चुका है। और बन्धक ग्रहिता को वाद ग्रस्त कृषि भूमि मे कोई अधिकार नही रहे है। जिसके अधिकार स्वतः ही समाप्त हो चुके है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के पश्चात राजस्थान काश्तकारी संशोधन अधिनियम 1975 प्रारम्भ की तारीख को विद्यमान कृषि भूमि का कोई भोग बन्धक 5 वर्ष के पश्चात स्वतः ही उक्त भूमि बन्धक मोचन (मुक्त) हो जायेगी। बन्धक ग्रहिता 5 वर्ष के पश्चात उसकी हेसियत केवल अतिक्रमी की होती है। बन्धक ग्रहिता का वाद ग्रस्त कृषि भूमियों पर कोई अधिकार नही होते है। उसके अधिकार स्वतः ही समाप्त हो चुके है। वर्तमान में बन्धककर्ता रिकार्डेड खातेदार कृषक है तथा खातेदार कृषकों का वाद ग्रस्त कृषि भूमि पर लगातार कब्जा काश्त चला आ रहा होना साबित है। अतः वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किये जाने एवं राहिन का इन्द्राज विलोपित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी सम्वत 2067–2070 खाता संख्या पुराना 7 नया 87 आराजी खसरा संख्या 124 रकबा 0.41 हैक्टर, खसरा संख्या 152 रकबा 1.16 हैक्टर, खसरा संख्या 153 रकबा 0.22 हैक्टर, खसरा संख्या 154 रकबा 0.76 हैक्टर, खसरा संख्या 155 रकबा 0.60 हैक्टर, खसरा संख्या 157 रकबा 1.16 हैक्टर किस्म नहरी दोयम कुल किता 06 कुल रकबा 4.31 हैक्टर वाके ग्राम चहीचा पटवार क्षैत्र देहीखेडा तहसीलदार इन्द्रगढ जिला बून्दी में दर्ज मूर्तहीन बिल कब्ज राहिन मांगीलाल, रूघनाथ, बैजनाथ, रामनाथ पिसरान नारायण मीणा निवासीगण कोटाखुर्द का नाम राजस्व रिकार्ड से विलोपित किया जाता है। तथा वादीगण का नाम राजस्व रिकार्ड में यथावत रहेगा। तदनानुसार पर्चा डिक्री जारी हों।

निर्णय लिखवाया जाकर आज दिनांक 19.09.2019 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी बून्दी
लाखेरी (बून्दी)

Scanned by CamScanner

आखिर डिगरी ब मुकदमें इब्तदाई

(O 20, Rr 6,7)

(civil Procedure Code, Appendix D)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम लाखेरी

व इजलास श्री गोरधन लाल मीणा R.A.S.

1 प्रताप आत्मज बद्री जाति मीणा निवासी ग्राम चाईचा तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी वगैरह - वादीगण बनाम 1 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार इन्द्रगढ जिला बून्दी प्रतिवादी

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 43 आर.टी.एक्ट

मुकदमा नम्बर 93/दावा/2016 सन

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजिरी श्री राजेन्द्र कुमार जैन एडवोकेट मिनजानिब मुद्दई रूबरू मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुकुम दिया जाता है व ड़िगरी दी जाती है कि वादीगण का वाद-पत्र स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है। कि राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी सम्वत 2067-2070 खाता सं. पुराना 7 नया 87 आराजी ख.नं. 124 रकबा 0.41 हैक्टर ख.नं. 152 रकबा 1.16 हैक्टर ख.नं. 153 रकबा 0.22 हैक्टर ख.नं. 154 रकबा 0.76 हैक्टर ख.नं. 155 रकबा 0.60 हैक्टर ख.नं. 157 रकबा 1.16 हैक्टर कुल खसरा किता 6 योग रकबा 4.31 हैक्टर वाके ग्राम चाईचा पटवार क्षेत्र देहीखेडा तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी मे दर्ज मुतहीन बिल कब्ज राहिन मांगीलाल रघुनाथ बैजनाथ रामनाथ पिसरान नारायण मीणा साकिन कोयसुर्द का नाम राजस्व रिकार्ड से PT.O पृष्ठपर

निज मुबलिग बाबत खर्चा इन मुकद्दमें के मय सूद बशरह फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक का अदा करें।

सब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 19-9-2019 माह

सन को जारी की गई।

दस्तखत

ओहदा

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी जिला बून्दी

मुहर

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुद्दायलह	रूपया	पैसे
1. स्टाम्प अर्जीदावा			1. स्टाम्प अर्जीदावा		
2. स्टाम्प वकालतनामा			2. स्टाम्प अर्जी		
3. स्टाम्प वजह सबूत			3. महन्ताना वकील		
4. महन्ताना वकील			4. खर्चा गवाहॉन		
5. खर्चा गवाहॉन			5. फीस कमिश्नर		
6. फीस कमिश्नर			6. बाबत इजराय हुक्मनामा		
7. बाबत इजराय हुक्मनामा			7. मुत्तफरिक		
मीजान			मीजान		

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरिकेन का चाहे ड़िगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिये।

Scanned by CamScanner

विलोपित किये जाने के आदेश तहसीलदार इन्द्रगढ़ को दिये जाते हैं तथा वादीगण के नाम राजस्व रिकार्ड में यथावत रहेगा।

(हस्ताक्षर)
उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी जिला बून्दी

2. शोभाग आत्मज बदरी जाति मीणा निवासी ग्राम चाहैचा तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी मृतक कायम मुकाम -

2/1 हेमराज पुत्र शोभाग जाति मीणा निवासी ग्राम चाहैचा तहसील इन्द्रगढ़

2/2 नन्दकवरी बेवा शोभाग जाति मीणा निवासी ग्राम चाहैचा — " — "

2/3 परमानन्द पुत्र शोभाग जाति मीणा निवासी ग्राम चाहैचा — " — "

2/4 कलावती पुत्री शोभाग जाति मीणा निवासी ग्राम चाहैचा — " — "

2/5 प्रेमबाई पुत्री शोभाग जाति मीणा निवासी ग्राम चाहैचा — " — "

3. देवकरण आत्मज नारायण जाति मीणा निवासी ग्राम चाहैचा तहसील इन्द्रगढ़

4. हजारा आत्मज नारायण जाति मीणा निवासी ग्राम चाहैचा तहसील इन्द्रगढ़

5. केदार आत्मज नारायण जाति मीणा निवासी ग्राम चाहैचा तहसील इन्द्रगढ़

6. लक्ष्मणलाल आत्मज कल्याण जाति मीणा निवासी चाहैचा तहसील इन्द्रगढ़

7. हरिप्रकाश आत्मज कल्याण जाति मीणा निवासी चाहैचा तहसील इन्द्रगढ़ जिला-बून्दी राजस्थान।

(हस्ताक्षर)
उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी जिला बून्दी

--- वादीगण ---

Scanned by CamScanner